

(A.)
Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi

Chamber,
D.O. No. 20 / C.A.O.
Dated: October 27, 2021

Dear Mr. Arya,

The complainant Sri Sanjay Yadav S/o Sri Azad Singh, who happens to be first informant as regard to Crime No. 507/2020 under sections 302,307,504, 506 I.P.C. E.S. Premnagar, District Jhansi, against Rajendra Singh Yadav alias Raju Jahreela, sent a complaint addressed to Hon'ble the Chief Justice of Allahabad High Court with a copy addressed to Hon'ble the Administrative Judge, Judgeship Jhansi and also to the undersigned stating therein that after concluding the hearing of bail application no. 1138/2021 under sections 302,307,504, 506 I.P.C. P.S. Premnagar, Jhansi, of the accused on 14.06.2021 you instead of passing order fixed date for hearing again on 22.06.2021. The papers on record suggest that during the relevant period in view of the lock down imposed due to Covid-19 conditions and in compliance of the orders of the Hon'ble High Court duty of the judicial officers for hearing the urgent matters was fixed in rotation. It is more than clear that you deliberately fixed the next date of hearing/rehearing this particular bail application on 22.06.2021 i.e. the date on which you had to sit again to hear the urgent matters.


In your explanation, you have submitted that arguments could not be concluded by both the sides, therefore, you fixed another date after a gap of further eight days. This fact is clearly denied by the complainant that arguments remained unconcluded. The order sheet dated 14.06.2021 shows that there has not been moved any adjournment application by the either side.

It is quite unusual on the part of a judicial officer to keep the bail application pending before himself as part heard. If this is your routine practice to keep the bail applications as part heard, kindly furnish details of other bail applications, which have been kept by you as part heard and were fixed for remaining arguments.

The complainant has imputed allegations of corrupt practice on your part in his complaint dated 15.06.2021, which is not only signed by the complainant but also is supported by an affidavit.

Hence, you are directed to submit your explanation as well as details as above within three days, failing which the matter shall be placed before the Hon'ble Administrative Judge, District Jhansi for necessary action.

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

27/10/21

Sri Vimal Prakash Arya,
Addl.District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.

विमल प्रकाश आर्य
 अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी
 (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया
 झाँसी ।

विषय:- जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 1138/ 2021 अंतर्गत धारा- 302, 307, 504, 506 IPC थाना
 प्रेमनगर, जनपद झाँसी की पत्रावली मेरे न्यायालय में भिजवाये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- अद्वृशासकीय पत्रांक सं०- 20/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 ।

महोदया

अवगत कराना है कि उपरोक्त के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। आपके द्वारा पुनः उसी बिन्दु के बावत अद्वृशासकीय पत्रांक सं० 20/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 प्रेषित किया गया जो मुझे आज दिनांक- 28. 10. 2021 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा अन्दर तीन दिन स्पष्टीकरण/ आख्या तलब की गयी है और बिना पत्रावली का अवलोकन किये स्पष्टीकरण/ आख्या दिया जाना कदापि संभव नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने संबंधित अधीनस्थ कर्मचारी को उक्त पत्रावली मेरे समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे समय के अन्दर स्पष्टीकरण/ आख्या प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय


 २८.१०.२०२१
 (विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 28 . 10. 2021

अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
 (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।



विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
 झाँसी ।

विषय:- अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 20/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।


संदर्भ:- संजय यादव पुत्र स्व० आजाद सिंह यादव निवासी 1250 राजीवनगर महावीरनपुरा नगरा, थाना प्रेमनगर जिला झाँसी के प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांक- 18. 06. 2021।

महोदया

सादर निवेदन करना है कि उपरोक्त संदर्भ के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक- 21. 06. 2021 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है । श्रीमान जी द्वारा मेरे स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किये जाने के लगभग 4 माह 6 दिन के पश्चात पुनः उक्त अर्द्धशासकीय पत्रांक जारी किया गया जो मुझे दिनांक- 28. 10. 2021 को अपरान्ह काल में प्राप्त हुआ । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उक्त अर्द्धशासकीय पत्रांक के बावत यदि वादी मुकदमा संजय यादव द्वारा कोई नवीन शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तो श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे वह नवीन प्रार्थनापत्र भी प्रदत्त कराने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली बावत स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, लेकिन मुझे जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 1138/ 2021 कागज सं०- 2A/ 1 लगायत 9B/ 30 प्राप्त हुआ है जो पुनः स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु संतोषजनक व पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दिनांक- 14. 06. 2021 को मात्र उक्त प्रपत्र ही मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।


अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे मैं नियत समय के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकूँ ।

भवदीय


(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 30. 10. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।



प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झाँसी।

विषय:-

अद्वृशासकीय पत्राक सं- 20/C. A. O. दिनांक- 27. 10. 2021 का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध कराये जाने के मंदिर म

महोदया

सादर निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक- 21. 06. 2021 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त अद्वृशासकीय पत्राक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु मेरे द्वारा पत्रावली उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया था और इस बावजूद दिनांक- 28. 10. 2021 व 30. 10. 2021 के श्रीमान जी को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु मुझे अभी तक उक्त पत्रावली प्राप्त नहीं हुयी है। इस कारण उपरोक्त पत्राक का स्पष्टीकरण दिया जाना कदापि संभव नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध लगाने के कृपा करें, जिससे मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकूँ। श्रीमान जी के आदेश के अनुसालन में जो पत्रावली मुझे प्रदत्त हुयी है, वह अपूर्ण पत्रावली है। अतः उक्त पत्रावली को मूल रूप से वापस किया जा रहा है।

भवदीय

५०८१३२८
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

पत्रावली का स्पष्टीकरण
करने के लिए उपलब्ध
कराया जाएगा।
१०/११/२१

प्रशिलिष्ठी विषय स्पष्टीकरण आवृ
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
सूखनार्थ एवं वायरल के अनुपालन
हेतु प्रेषित।

झाँसी से

५० मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, झाँसी।
०८/११/२१

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी ।

विषय:- अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 20/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 का स्पष्टीकरण

प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- मेरे प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांक- 08. 11. 2021 के संबंध में ।

महोदया

सादर निवेदन करना है कि उपरोक्त विषय में वर्णित अर्द्धशासकीय पत्रांक के बावत मुझे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है और मेरे द्वारा यह निवेदन किया गया था कि मुझे सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकूँ । श्रीमान जी द्वारा मेरे उक्त प्रार्थनापत्र पर यह आदेश पारित किया गया है कि " पत्रावली का औचित्य का उल्लेख करें दिनांक- 09. 11. 2021 तक प्रस्तुत करें ।" इस संबंध में मेरा निवेदन है कि दिनांक- 14. 06. 2021 को जब उक्त पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत हुयी थी तब पत्रावली एक भाग में नहीं थी, बल्कि कई भाग में थी, जो बहुत अधिक मोटी थी और जिन प्रपत्रों पर बहस की जा रही थी वे समस्त प्रपत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हो पाये थे और न ही मैं विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किये जाने के दौरान उन प्रपत्रों का अवलोकन कर पाया था, क्योंकि उस तिथि पर मेरे द्वारा कुछ जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण भी किया गया था और बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त अर्द्धशासकीय पत्रांक का जबाब दिया जाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है और इस कारण पत्रावली का अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है ।

आख्या सादर ससम्मान प्रेषित ।

भवदीय

०८. ११. २०२१
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 08. 11. 2021

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
 (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा मे

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
 झाँसी ।

विषय:-

अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०- 20/ C. A. O. दिनांकित- 27. 10. 2021 का स्पष्टीकरण

संदर्भ:-

प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण पत्रावली (मय केस डायरी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

मेरे प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांक- 08. 11. 2021 के संबंध में ।

महोदया

सादर निवेदन करना है कि उपरोक्त विषय में वर्णित अर्द्धशासकीय पत्रांक के बावत मुझे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है और मेरे द्वारा यह निवेदन किया गया था कि मुझे सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकूँ । श्रीमान जी द्वारा मेरे उक्त प्रार्थनापत्र पर यह आदेश पारित किया गया है कि "पत्रावली का औचित्य क्रूर उल्लेख करें दिनांक- 09. 11. 2021 तक प्रस्तुत करें ।" इस संबंध में मेरा निवेदन है कि दिनांक- 14. 06. 2021 को जब उक्त पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत हुयी थी तब पत्रावली एक भाग में नहीं थी, बल्कि कई भाग में थी, जो बहुत अधिक मोटी थी और जिन प्रपत्रों पर बहस की जा रही थी वे समस्त प्रपत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हो पाये थे और न ही मैं विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किये जाने के दौरान उन प्रपत्रों का अवलोकन कर पाया था, क्योंकि उस तिथि पर मेरे द्वारा कुछ जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण भी किया गया था और बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त अर्द्धशासकीय पत्रांक का जबाब दिया जाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है और इस कारण पत्रावली का अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है ।

आख्या सादर सम्मान प्रेषित ।

भवदीय


 ०९.११.२०२१

(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 08. 11. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।